बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना दिनांक 25-10 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

 # अनौपचारिक रूप से परामर्शित **#द्वारा** – वित्त विभाग।

विषय – **राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थिति में फसलों में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु वर्ष 2018–19 के खरीफ मौसम में धान फसल हेतु एक ही खेत के लिए पूर्व में स्वीकृत अधिकतम 3 सिंचाई को बढ़ाकर 5 सिंचाई करने तथा रबी मौसम में गेहूँ के 3 सिंचाई को बढ़ाकर 4 सिंचाई करने एवं मक्का के 2 सिंचाई को बढ़ाकर 3 सिंचाई करने के साथ डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त 17500.00 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़) रू० की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वर्ष 2018–19 के खरीफ मौसम में राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थिति में फसलों में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु धान फसल हेतु एक ही खेत के लिए पूर्व में स्वीकृत अधिकतम 3 सिंचाई को बढ़ाकर 5 सिंचाई करने तथा रबी मौसम में गेहूँ के 3 सिंचाई को बढ़ाकर 4 सिंचाई करने एवं मक्का के 2 सिंचाई को बढ़ाकर 3 सिंचाई करने के साथ डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त 17500.00 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़) रू० की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग का ज्ञाप संख्या 67 सी० एफ०, 68 सी० एफ० एवं 69 सी० एफ० दिनांक 15.10.2018 द्वारा क्रमशः 14525.00 लाख (एक सौ पैंतालीस करोड़ पचीस लाख) रू०, 2800.00 लाख (अठाइस करोड़) रू० एवं 175.00 लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख) रू० कुल 17500.00 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़) रू० का अग्रिम बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।
3. कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07.2018 एवं 2643 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 6000.00 लाख रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 1500.00 लाख रूपये कुल 7500.00 लाख(पचहत्तर करोड़) रूपये की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. वर्ष 2018–19 में डीजल के क्रय पर स्वीकृत्यादेश संख्या 3076 दिनांक 13.08.2018 द्वारा 50 (पचास)रू० प्रति लीटर अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
5. धान की रोपनी एवं मक्का की बुआई का लक्ष्य क्रमशः 34.00 लाख हे० एवं 4.75 लाख हे० के विरूद्ध क्रमशः 32.55 लाख हे०(95.74%) एवं 3.96 लाख हे०(83.46%) मात्र उपलब्धि हुई है। है।
6. खरीफ 2018 में दिनांक 30.09.2018 तक राज्य में 1027.6 मिलीमीटर सामान्य वर्षापात के विरूद्ध 771.3 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा हुई है एवं वर्षा का विचलन –25% है। सितम्बर माह में 224.0 मिलीमीटर सामान्य वर्षापात के विरूद्ध 112.8 मिलीमीटर वर्षा होने एवं हथिया नक्षत्र में अल्प वर्षा होने के कारण बिहार के अधिकतर जिलों में वर्षा सामान्य से काफी कम हुआ है। रोपनी एवं बुआई किए गए खरीफ के खड़ी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं भूमि की नमी भी प्रभावित हो रही है।
7. खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 50 रू0 प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 500 रू0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य है। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट हेतु 2 सिंचाई के लिए 1000 रू0 प्रति एकड़ की दर से तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे हेतु एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1500 रू0 प्रति एकड़ की दर से अनुदान हेतु स्वीकृति प्राप्त है जिसमें अल्प एवं अनियमित वर्षा के कारण फसलों का उत्पादन/उत्पादकता बनाये रखने हेतु धान फसल के लिए 3 सिंचाई को बढ़ाकर 5 सिंचाई के लिए प्रति सिंचाई 500 रू० की दर से कुल 2500 रू० प्रति एक एकड़ का अनुदान अनुमान्य होगा। अन्य खरीफ फसलों हेतु पूर्व में स्वीकृत दर से ही डीजल अनुदान देय होगा।
8. रबी फसलों में भूमि की नमी को दूर कर भरपूर उपज के लिए सिंचाई पर डीजल अनुदान की आवश्यकता होगी। रबी मौसम में किसानों को 1 लीटर डीजल के क्रय पर 50 रूपये की दर से प्रति एकड़ 500 रूपये डीजल अनुदान अनुमान्य है। वर्तमान में इस योजना के अधीन गेहूँ के लिए 3 सिंचाई तथा अन्य रबी फसलों के अन्तर्गत मक्का, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए 2 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान हेतु स्वीकृति प्राप्त है जिसमें गेहूँ के लिए 3 सिंचाई को बढाकर 4 सिंचाई कर 2000 रू० प्रति एकड़ तथा मक्का के लिए 2 सिंचाई को बढ़ाकर 3 सिंचाई कर 1500 रू० प्रति एकड़ का अनुदान अनुमान्य होगा। शेष रबी फसलों के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति पूर्ववत रहेगा।
9. योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य निदेश पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07. 2018 एवं 2643 दिनांक 10.07.2018 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या 3076 दिनांक 13.08.2018 के अनुसार होगा
10. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर डीजल अनुदान एवं आकस्मिक फसल योजना के अनुदान मद में राशि को अन्तरपरिवर्तन किया जा सकेगा।
11. स्वीकृत राशि का आवंटन कृषि निदेशक, बिहार, पटना को किया जाएगा। कृषि निदेशक द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के PL Account संख्या 271 में रखा जाएगा।

12. वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	कुल उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
बजट शीर्ष खण्ड II–8000–आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड–8000–01–2401001090103, विषय शीर्ष–0103.33.01 सब्सिडी	20750.00	14525.00
बजट शीर्ष खण्ड II–8000–आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0125– बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड 8000–01–2401007890125, विषय शीर्ष–0125.33.01 सब्सिडी	4000.00	2800.00
बजट शीर्ष खण्ड II–8000–आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0147–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड 8000–01–2401007960147, विषय शीर्ष– 0147.33.01 सब्सिडी	250.00	175.00
कुल	**25000.00**	**17500.00**

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं बिहार आकस्मिकता निधि से 17500.00 लाख(एक सौ पचहत्तर करोड़) रू० की अग्रिम निकासी एवं व्यय करने में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 09.10.2018 को संचिका संख्या– मो०–18/2018 के पृ0सं0–65/टि० पर प्राप्त है।
14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मो०–18/2018 के पृ0सं0–74/टि० पर दिनांक– 25.10.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 25.10.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना, दिनांक 25-10, 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना, दिनांक 25-10, 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट भाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना, दिनांक 25-10, 2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohiyda 25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना, दिनांक 25-10, 2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohiyda 25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5273 /कृ0, पटना, दिनांक 25-10, 2018

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोशागार पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेशित।

Rohiyda 25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।